IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 330 OF 2022

IN THE MATTER OF:
Ganesh Chand Sharma. ....Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ... Respondents

ACTION TAKEN REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NOS. 1 & 2

P A P E R - B O O K

I N D E X

Srl	Particulars	Pages
1.	Action Taken Report by way of Affidavit on behalf of Respondent Nos. 1 & 2	1 – 6
2.	ANNEXURE-1: A true photo copy of the Joint inspection Report dated 21.05.2022	7 – 10
3.	ANNEXURE-2: A true photo copy of letter dated 24.05.2022 issued by State Pollution Control Board to the Head of the Department and Engineer-in-Chief, Public Works Department	11
4.	ANNEXURE-3: A true photocopy of Letter dated 30.05.2022 issued by the Office of the Engineer-in-Chief and Head of the Department, PWD, Dehradun	12

Filed by:

Rahul Verma

[RAHUL VERMA]
Additional Advocate General for State of Uttarakhand /
Respondent Nos. 1 & 2
137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I,Delhi-110091
Mobile No. 9717706032
Email- advrahulverma9999@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

****

ACTION TAKEN REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT

(On behalf of Respondent No. 1 and 2)

IN

ORIGINAL APPLICATION NO.330OF 2022

(Under Section 18(1) read with Section 14, 15 of National Green Tribunal Act, 2010)

Ganesh Chand Sharma, S/o Late Shri. Ambadutt Sharma, Flat No. 1517, Sector 21D, Faridabad, Haryana.

………. Applicant

Versus

1. The State of Uttarakhand Rep. by its Chief Secretary, New Building, Uttaranchal Secretariat, Fourth, 4, Subhash Rd., Dehradun, Uttarakhand 248001.
2. The State of Uttarakhand Rep. by its Secretary, Public Works Department, 29, Yamuna Colony Road, Yamuna Colony, Khurbura Mohall, Dehradun, Uttarakhand 248001.
3. The State of Uttarakhand, Swajal Project, Rep. by its Director, Project Management Unit, Swajal Directorate, 67/4-1, Pritam Road, Dalanwala, Dehradun-248001, Uttarakhand.
4. The District Collector, Collectorate, Almora.

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg. No. 19(6)/2002 GOVT. OF UTTARAKHAND

2

5. The Union of India, Rep. by its Secretary, Ministry of Environment and Forests Delhi.

.... Respondents

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
NOTARY Regd. No. 15/01/2002
GOVT. OF UTTARAKHAND

Affidavit of Shri Shyam Singh, aged about 54 years, S/O. Late Shri Gulab Singh, presently posted as Joint Secretary, Public Works Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.

........Deponent

I, the deponent above named do hereby solemnly affirm on oath and state as under:-

1. That the deponent is presently posted as Joint Secretary, Public Works Department, Government of Uttarakhand, Dehradun and is duly authorized to swear this affidavit on behalf of Respondent No. 1 and 2. The deponent is well acquainted with the facts of the matter and is competent to swear the present affidavit. The deponent has read and understood the contents of the captioned original applicationand is fully acquainted with the facts deposed to here below.

2. That pursuant to the order dated 11.05.2022 passed by this Hon'ble Tribunal, a Joint Committee consisting of following officials was constituted for carrying out site inspection:-

   i) Shri Jaivardhan Sharma, Sub-District Magistrate, Salt Khumad (Almora).

ii) Dr. Lalit Mohan Tiwari, Tehsildar, Salt Khumad (Almora).

iii) Er. L. D. Mathela, Executive Engineer, Construction Division, Public Works Department, Ranikhet (Almora).

iv) Dr. D. K. Joshi, Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani (Nainital).

v) Shri Mukesh Kumar, Assistant Engineer, Uttarakhand Peyjal Nigam, Bhikiyasain (Almora).

3. That the said Joint Committee carried out site inspection on 21.05.2022 and submitted its report as under:-

a) The Joint Committee visited the Naula/Water Source located at Village Malla Dhadharia, Tehsil Salt Khumad, District Almora. The Applicant was also present at the time of inspection.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19601/2002
GOVT. OF UTTARAKHAND

b) The total length of proposed motor road is 21 Km. out of which 2.225 Km. motor road is under construction.

c) The present alignment of proposed road is about 20 meter above the said Naula/Water Source located at Village Malla Dhadharia. As per finding of the Joint Committee, there is possibility of damage to said Naula/Water Source due to construction of said motor road. However, during inspection the said Naula/Water Source was found undisturbed.

d) After field inspection and discussion with the villagers of Malla Dhadharia and Talla Dhadharia, the Joint Committee found that the Naula/Water Source may be conserved if the alignment of the proposed road is changed. But if the alignment is changed then the length of the road is likely to increase approximately to the extent of 200 Mtrs. In the said context, the Public Works Department informed that sanction towards new alignment will have to be taken from the competent authority. The aforesaid report further stated that in case the road is constructed as per the alignment suggested by the Applicant in his petition then the length of the road is likely to increase to the extent of 3.00 Km. for which re-alignment/revised alignment have to be carried out which will entail cost escalation for which sanction will be required to be taken from the State Government.The aforesaid report further stated that in case the proposal as suggested by the Committee is taken into consideration then the length of the road will increase to the extent of 200 Mtrs. (Approx.), for which no sanction/approval will be required to be taken again from the State Government.

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.15/01/2002 GOVT. OF UTTARAKHAND

Copy of Joint Inspection Report dated 21.05.2022 of the Joint Committeeis being filed and placed as **ANNEXURE-1** to this affidavit.

4. That based on the recommendations of the above Joint Inspection Committee Report dated 21.05.2022, the State Pollution Control Board, the Nodal Agency, vide its letter dated 24.05.2022 directed Head of the Department and Engineer-in-Chief, PWD, Uttarakhand, to take approval with regard to change in alignment and increase in the length of road to the extent of 200 Mtrs. (Approx.) from the competent authority and further to intimate the said proceedings to this Hon'ble Tribunal. Copy of letter dated 24.05.2022 issued by the State Pollution Control Board to the Head of the Department and Engineer-in-Chief, PWD is being filed and placed as **ANNEXURE-2** to this affidavit.

5. That on receipt of the aforesaid letter dated 24.05.2022 from the State Pollution Control Board, the Office of the Engineer-in-Chief and Head of the Department, PWD, Dehradun vide letter dated 30.05.2022 directed the Executive Engineer (Provincial Division), PWD, Ranikhet to take action in accordance with the directions given by the State Pollution Control Board. Copy of letter dated 30.05.2022 issued by the Office of the Engineer-in-Chief and Head of the Department, PWD, Dehradun is being filed and placed as **ANNEXURE-3** to this affidavit.

6. That subsequent thereto a survey is being got conducted by the Executive Engineer (Provincial Division), PWD, Ranikhet and further consent is in process of being taken from the people of the concerned villages for acquisition of their land. Once the requisite consent is given by the villagers, then the approval for alignment of the road in accordance to the survey conducted will be taken from the competent authority of PWD.

6

alignment of the road in accordance to the survey conducted will be taken from the competent authority of PWD.

7. That parawise reply to the Original Application filed by the Applicant is not being submitted at this stage by the answering Respondent No. 1 and 2, however, if this Hon'ble Tribunal desires or directs so, the same will be filed.

DEPONENT

I, the deponent above named do hereby swear and verify at Dehradun on this the ......24...Day of August, 2022 that the contents of above affidavit of paras 1 to 7 are partly based on my personal knowledge, partly based on record and partly based on legal advice, which all the deponent believes to be true and no part of it is false and nothing material has been concealed therein.

So help me God.

(DEPONENT)

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19/01/2002
GOVT. OF UTTARAKHAND

This affidavit is sworn before me by
Shri...Shri Shyam Singh...
who is identified by Shri ....
at Dehradun on ....
(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

7

ANN: 1

UKPCB

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)
Phone - 05946-225618 E-mail : ro.haldwani@gmail.com

Ref:UKPCB/ROH/रि०/22/499-196

दिनांक 23/5/22

कोर्ट मैटर
आवश्यक

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 1047
Date 23/6/22

सेवा में

सदस्य सचिव महोदय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं.–330/2022 में पारित आदेश दि. 11.05.22 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक यू.के.पी.सी.बी./एच.ओ./सा. –183–564/2022/220 दि. 17.05.22 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा थराली–धावरा शशिखाल मोटर मार्ग के निर्माण से गाँव मल्ला धघरिया में स्थापित नौले को हो रही क्षति का संयुक्त स्थल निरीक्षण दि. 21.05.22 को किया गया।

निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 23/5/22

(डा0 डी.के. जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, अल्मोड़ा।
3. उपजिलाधिकारी, सल्ट, खुमाड़, अल्मोड़ा।

क्षेत्रीय अधिकारी

संयुक्त निरीक्षण आख्या

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा योजित मूल आवेदन संख्या 330/2022 गणेश चन्द्र शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनाक 11.5.2022 के अनुपालन मे तराडी डभरा शशीखाल मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम मल्ला डढरिया मे स्थापित नौले को क्षति से बचाने के सम्बन्ध मे वादी की शिकायत एवं वस्तुस्थिति विशेषतया वादी द्वारा सुझाये गये वैकल्पिक सुझाव के दृष्टिगत आज दिनाक 21-05-2022 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित समिति की जांच आख्या/रिपोर्ट

तराडी-डबरा-शशीखाल मोटर मार्ग का गूगल मानचित्र

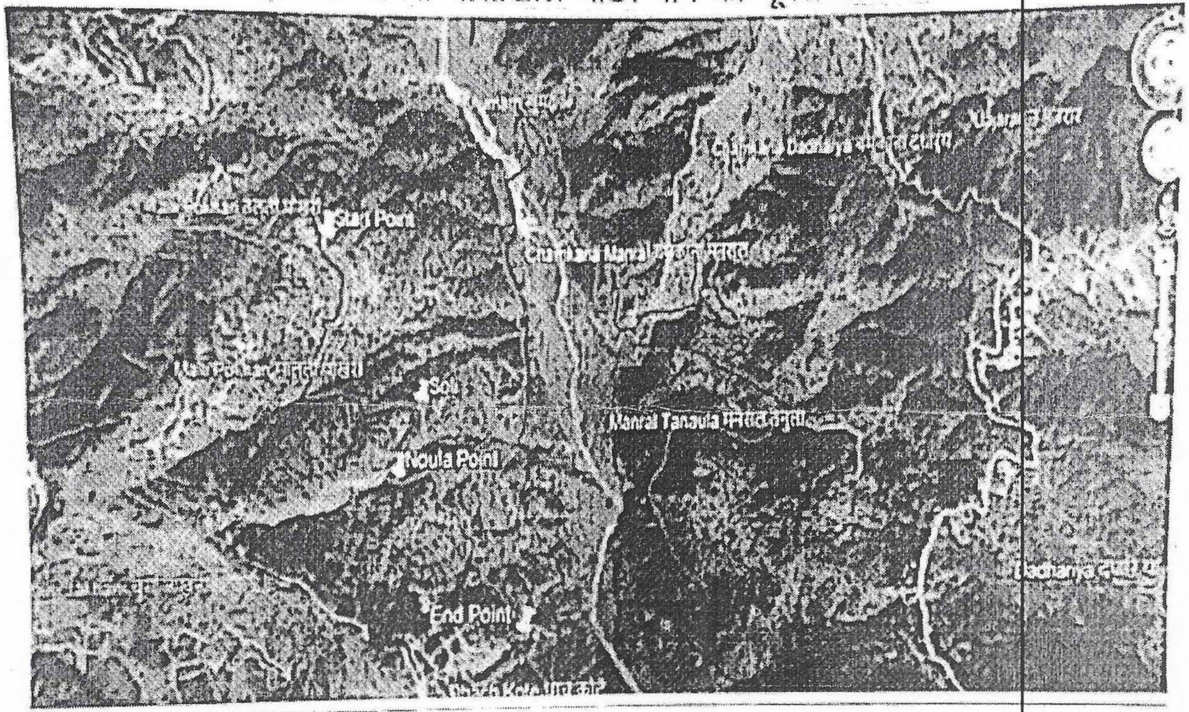

जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र साल्ट के अन्तर्गत तराडी शशीखाल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2404 लो0नि0वि0/2003-2(मा0मु0जी घोषणा) 2003 दिनाक 15-12-2003 द्वारा 40 किमी0 लम्बाई हेतु रू0 744.20 लाख की प्राप्ति हुयी थी। मूल आवेदन संख्या 330/2022 मे दिनाक 11-05-2022 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा निम्न निर्णय पारित किया गया। जिसका प्रभावी अंश निम्नवत है:-

"In view of the grievances raised in the letter petition, the factual position also needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof. We accordingly constitute Joint Committee of State PCB, Executive Engineer, PWD Department and District Magistrate, Almora and direct the same to verify the factual position, look into the grievances of the applicant and in particular consider the alternative suggested by the applicant in para 5.10 of the application for saving the Naula from destruction in consultation with some local expert in the field of Himalayan Geo-hydrology, if so required. State PCB will be the nodal agency for co-ordination and compliance. Report may be furnished on or before 26.05.2022 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF"

उक्त आदेश के क्रम मे गठित समिति द्वारा ग्राम मल्ला डढरिया, तहसील साल्ट खुमाड, जिला अल्मोडा में स्थित नौला का संयुक्त निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा वादी श्री गणेश चन्द्र शर्मा की उपस्थिति मे किया गया है। इस सम्बन्ध मे लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया

9

गया कि उक्त मोटर मार्ग लगभग 21 किमी0 लम्बाई मे निर्मित किया जाना है। जिसमें से लगभग 2.250 किमी0 लम्बाई हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त मार्ग का वर्तमान संरेखण नौले के लगभग 20 मीटर ऊपर से होकर गुजरता है। जिसमें मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान नौले/जल स्रोत के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना प्रतीत होती है। निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित नौला सुरक्षित पाया गया, जिसके फोटोग्राफ संलग्न है। निरीक्षण के दौरान समिति द्वारा मल्ला उढरिया एवं तल्ला उढरिया के ग्रामवासियों से भी इस सम्बन्ध में वार्ता भी की गयी।

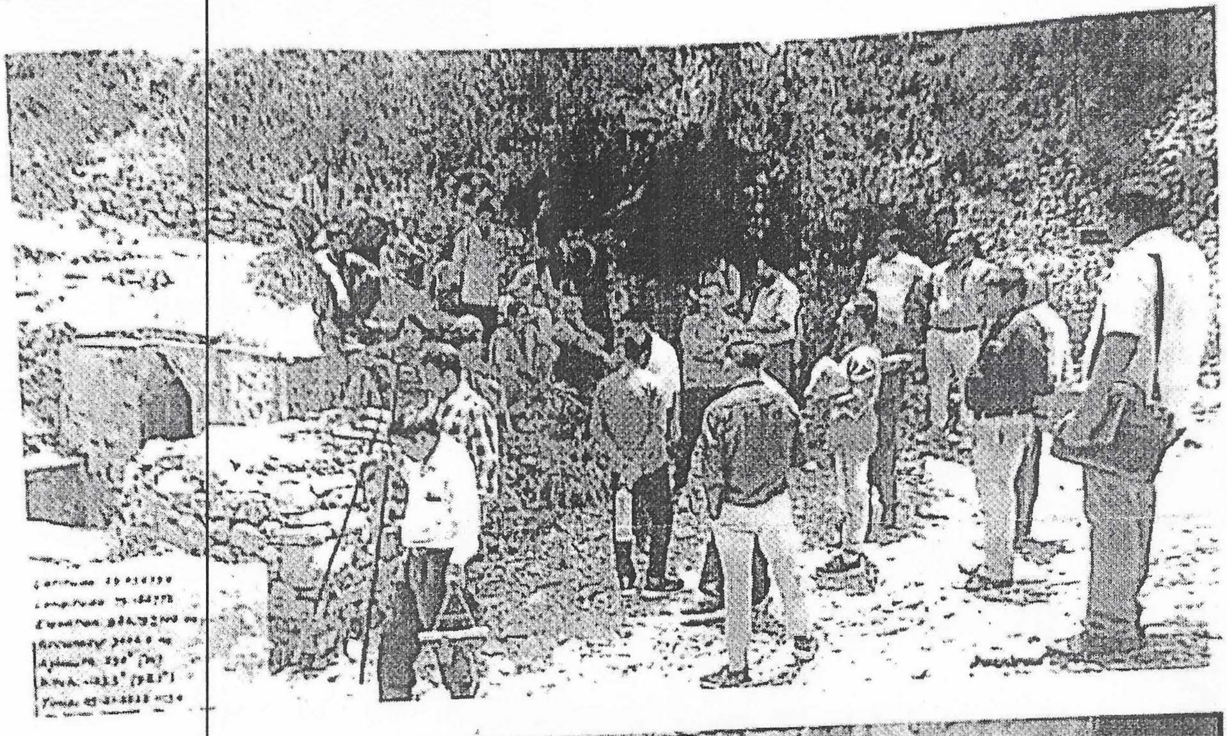

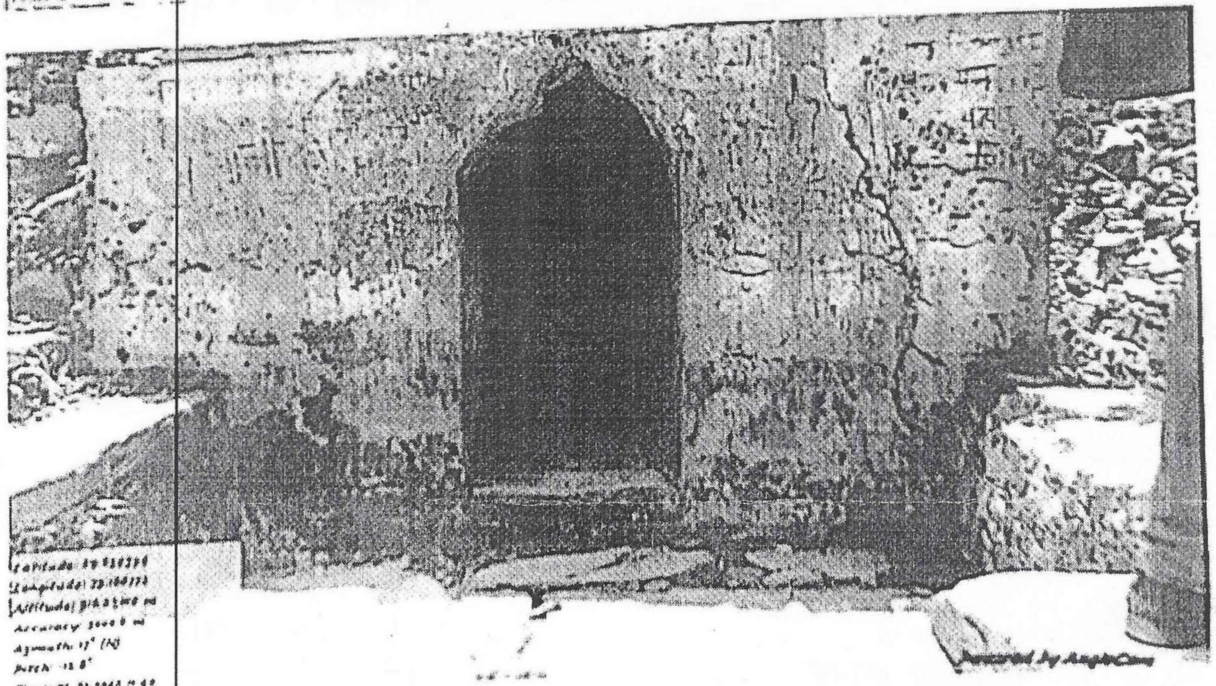

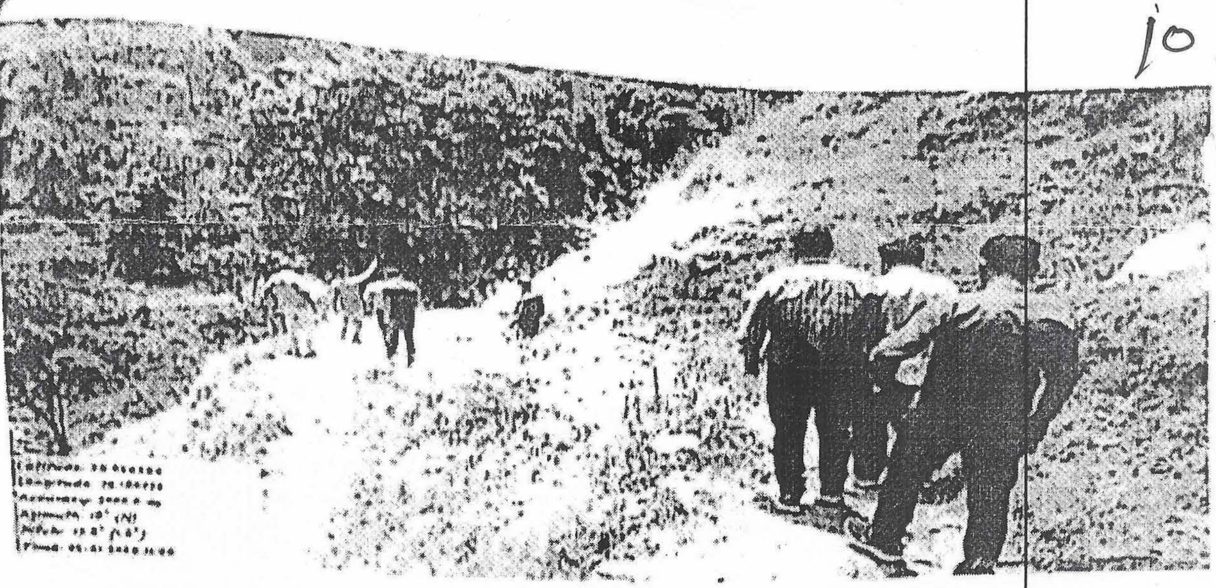

निरीक्षण के दौरान समिति ने यह पाया कि यदि संरेखण को परिवर्तित कर मार्ग को नौले के नीचे से (वर्तमान संरेखण से लगभग 40 मीटर नीचे) ले जाकर पुनः उसी संरेखण में जोड़ा जाता है तो इससे नौले का संरक्षण हो सकता है। परन्तु उक्त संरेखण परिवर्तन से लगभग 200 मीटर अतिरिक्त लम्बाई की वृद्धि होना सम्भावित है। इस सन्दर्भ में लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नये संरेखण की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली जायेगी। वादी द्वारा अपने पिटीशन में सुझाये गये संरेखण में यदि मार्ग का निर्माण कार्य किया जाता है तो उक्त मार्ग की लम्बाई में लगभग 03 किमी की वृद्धि होने की सम्भावना है, जिसके लिए पुनः संरेखण किया जाना एवं पुनंरिक्षित संरेखण की स्वीकृति सक्षम स्तर व लागत वृद्धि हेतु शासन से पुनः स्वीकृति की आवश्यकता होगी। किन्तु समिति द्वारा सुझाये गये प्रस्ताव पर लगभग 200 मीटर की अतिरिक्त मार्ग की वृद्धि होगी, जिसके लिए शासन से पुनः स्वीकृति लेने की आवश्यकता नही होगी।

निष्कर्ष–

समिति द्वारा निरीक्षण एवं जांच के उपरान्त समिति का निष्कर्ष एवं संस्तुति निम्न प्रकार है:–

वर्तमान संरेखण को आंशिक परिवर्तित कर मोटर मार्ग को नौले से नीचे (वर्तमान संरेखण से लगभग 40 मीटर नीचे) से ले जाया जाये एवं उससे आगे पुनः मार्ग को ऊपर ले जाकर पूर्व संरेखण में जोड़ा जाय, जिससे नौले/जल स्रोत का संरक्षण किया जा सकता है

अतः इस प्रकरण में गठित समिति की रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

31/05/2022

(मुकेश कुमार)
सहायक अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
भिकियासैण(अल्मोड़ा)

(डा० डी० के० जोशी) 31/5/22
क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
हल्द्वानी जिला–नैनीताल

31/5/22
(ई० एल० डी० मथेला)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत
जिला–अल्मोड़ा

31/5/22
(डा० ललित मोहन तिवारी)
तहसीलदार सल्ट खुमाड
जिला–अल्मोड़ा

(जयवर्धन शर्मा)
उप जिला मजिस्ट्रेट,द्वाराहाट/
सल्ट खुमाड (अल्मोड़ा)

//TRUE Copy//

SPA to H.O.D
27/5/22

11
ANN.-2

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248001
कार्यालय दूरभाष सं0:–2976157, 2976158, 2607092

पत्रांक:यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–564/2022/256 दिनांक: ~~23.05.2022~~ 24/5/22.

स्पीड पोस्ट/ई–मेल द्वारा

एन0जी0टी0 मैटर

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 देहरादून
27 MAY 2022

सेवा में, (381)

विभागाध्यक्ष एवं इन्जीनियर–इन–चीफ,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड,
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–330/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–330/2022 गणेश चन्द शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण थराड़ी–धावरा शशिखाल मोटरमार्ग के निर्माण से गांव मल्ला डढरिया में स्थापित नौले को क्षति से बचाने के सम्बन्ध में है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण में निरीक्षण हेतु 03 विभागों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया था। संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 21.05.2022 को विषयगत स्थल का निरीक्षण किया गया। संयुक्त कमेटी में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित थे :–

1. श्री जयवर्द्धन शर्मा, उप जिला मजिस्ट्रेट, द्वाराहाट/सल्ट खुमाड़, (अल्मोड़ा)।
2. डा0 ललित मोहन तिवारी, तहसीलदार–सल्ट खुमाड़, (अल्मोड़ा)।
3. ई0 एल0डी0 मथेला, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, (अल्मोड़ा)।
4. डॉ0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।
5. श्री मुकेश कुमार, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भिकियासैंण (अल्मोड़ा)।

निरीक्षण आख्यानुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग लगभग 21कि0मी0 लम्बाई में निर्मित किया जाना है, जिसमें से लगभग 2.225 कि0मी0 लम्बाई हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त मार्ग का वर्तमान संरेखण (Alignment) विषयगत नौले के लगभग 20 मीटर ऊपर से होकर गुजरता है। मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान नौले/जल स्त्रोत के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना प्रतीत होती है। आख्यानुसार, यदि संरेखण को परिवर्तित कर प्रस्तावित सड़क मार्ग को नौले के नीचे से (वर्तमान संरेखण से लगभग 40 मीटर नीचे) ले जाकर पुनः उसी संरेखण में जोड़ा जाता है तो, इससे नौले का संरक्षण हो सकता है, परन्तु उक्त संरेखण परिवर्तन से लगभग 200 मीटर अतिरिक्त लम्बाई की वृद्धि होना सम्भावित है।

प्राप्त निरीक्षण आख्या की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित् है कि कृपया संयुक्त जॉच समिति की संस्तुतियों के क्रम में वर्तमान संरेखण (Alignment) में परिवर्तन तथा सड़क की लम्बाई में अतिरिक्त वृद्धि (लगभग 200मीटर) के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से वांछित अनुमति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित् करते हुये कृत कार्यवाही से मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0पी0 सुबुद्धि) आई0एफ0एस0
सदस्य सचिव।

प्रतिलिपिः–प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित्।

PA to HOD
27/05/22

CE (estt.)
28.5.2022
प्रमुख अभियन्ता लो. नि. वि.

Urgent
SSO (Estt)
28/5/22

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

SAO
28/5/22

ई0 प्रेम सिंह नबियाल
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

962
28.5.22

TRUE COPY

12 ANN-3 कोर्ट केस/महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"विधि प्रकोष्ठ वर्ग"
लोक निर्माण विभाग, देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN,UTTARAKHAND
Phone & Fax:– 0135–2531742, 2530431 E-Mail-cepwdua@gmail.com
Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्र सं0– 962 /3419 वि0प्र0/2022 दिनांक 30 /05/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या संख्या–330/2022 गणेश चन्द शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दि0 11.05.2022 को दिये गये आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–564/2022/259 दि0 24.05.2022 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दि0 11.05.2022 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दि0 21.05.2022 को की गई निरीक्षण आख्या संलग्न करते हुए जांच समिति की संस्तुतियों के क्रम में वर्तमान संरेक्षण (Alignment) में परिवर्तन तथा सड़क की लम्बाई में अतिरिक्त वृद्धि (लगभग 200मीटर) के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से वांछित अनुमति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के पत्रांक यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–564/2022/259 दि0 24.05.2022 के साथ उपलब्ध कराई गई जांच समिति की संस्तुति सलंग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– यथोपरि।

(पी0एस0 नबियाल)
वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर।
OLC 30/5/2022

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव,उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, "गौरा देवी पर्यावरण भवन" 46बी, आई.टी.पार्क,सहस्रधारा रोड़,देहरादून को उनके पत्र दि0 24.05.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपः–अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर।
30/5/2022

OLC
TRUE COPY